न्यायालय – उपखण्ड अधिकारी चितलवाना।

पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा (आर. ए. एस.)

मुकदमा सं. 1 /2015

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
खींयाराम पुत्र रूपाराम, उम्र– 67 वर्ष, जाति–जाट, निवासी– सुंठाकोई तहसील–चितलवाना, जिला–जालोर।		राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार चितलवाना।

उपस्थिति:–

1. वकील श्री जालाराम पुनियां प्रार्थी की ओर से ।
2. तहसीलदार चितलवाना राज पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 आर.एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक 30-1-17

1. यह है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 आर. एल.आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम–सुंठाकोई, पटवार हल्का केरिया में प्रार्थी के खातेदारी व मालिकाना हकहकूक कब्जाकाश्त के खेत खसरा नम्बर 806/1122 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 807/1122 रकबा 0.14 हैक्टर व खसरा नम्बर 808 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 809 रकबा 2.71 हैक्टर का आया हुआ है। उक्त आराजी का प्रार्थी सदैव लगान अदा करते आ रहा हैं तथा गिरदावरी भी मेरे नाम तज्वीज होती आ रही है। प्रार्थी के खातेदारी कब्जाकाश्त के उक्त खेत नक्शे में अलग तरमीमसुदा आया हुआ है। लेकिन उक्त खेतों की माठ को आये दिन विवाद होता हैं जिससे विवाद की स्थिति में हमेशा काश्त की मौसम में खेती करनें में भारी अवरोध पैदा हो जाता है, जिससे प्रार्थी खातेदार उक्त विवाद को लेकर झगड़ा टंटा करनें में विश्वास नही रखते है, प्रार्थी अपने खेत की नेखमबन्दी करवाना चाहता है, जिससे हमेशा के लिए विवाद नही रहे। जिससे स्थाई हल खेत की नेखमबन्दी, पत्थर, चींणे, दिवार आदि बनाकर ही हो सकता है। अन्य कोई विकल्प नही होने से प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मेरे खेत की नेखमबन्दी की जावें तथा आवश्यकतानुसार पुलिस ईमदाद भी दिलायी जावें।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया। जिस पर अप्रार्थी राजपैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त खसरा

नम्बरान की आराजी राजस्व रेकर्ड अनुसार होने से स्वीकार है तथा उक्त भूमि की सीमा की स्थाई नेखमबन्दी/पत्थरगडी राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार की जाती है तो राज का हित प्रभावित नही होता है तथा तरमीम अनुसार नेखमबन्दी की जाना उचित है।

3. दोनो पक्ष की बहस सुनी गई। हमनें पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजो का अध्ययन अवलोकन किया, बहस उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया। खसरा नम्बर 806/1122 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 807/1122 रकबा 0.14 हैक्टर व खसरा नम्बर 808 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 809 रकबा 2.71 हैक्टर प्रार्थी के नाम जमाबन्दी अनुसार खातेदारी में दर्ज है। तथा राजस्व नक्शे में भी उक्त खसरा की आराजी तरमीम सुदा है। उक्त आराजी की नेखबन्दी किये जाने बाबत् कोई आपत्ति अप्रार्थी की और से पेश नही हुई है। अतः उक्त आराजी जमाबन्दी में दर्ज खातेदारी अनुसार नक्शे मे अलग तरमीमसुदा होने से नेखमबन्दी किया जाना उचित प्रतित होता है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम– सुंठाकोई, पटवार हल्का केरिया के खेत खसरा नम्बर 806/1122 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 807/1122 रकबा 0.14 हैक्टर व खसरा नम्बर 808 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 809 रकबा 2.71 हैक्टर भूमि की नेखमबन्दी राजस्व ट्रेस नक्शे में किस्तवार तरमीम अनुसार तहसीलदार चितलवाना पेमाईस करवाकर स्थाई नेखमबन्दी नियमानुसार की जावें। उक्त निर्णय की पालना हेतु तहरीर तहसीलदार चितलवाना को जारी हो। पक्षकार खर्चा अपना–अपना वहन करें।

30-1-17
(मुरारीलाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी चितलवाना

निर्णय आज दिनांक 30-1-17 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30-1-17
(मुरारीलाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी चितलवाना